न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 462 / 2024

अनवान : –

1. सूर्यकान्त जोशी पुत्र नन्द किशोर जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. चन्द्रकान्त जोशी पुत्र नन्द किशोर जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. शर्मा प्रियान्स इन्द्राज पुत्र इन्द्राज जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नन्दकिशोर पुत्र शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. इन्द्राज शर्मा पुत्र शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. शर्मा चारूलता इन्द्राज पुत्री इन्द्राज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. पुष्पा देवी पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. ओमधारा पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. विनोद देवी पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. मैनपाल पुत्र सुमित्रा पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. अशोक पुत्र सुमित्रा पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 216 / 204 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमिएवं रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 173 / 165 की कुल 7.6510 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि शेराराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है शेराराम पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका है तथा शेराराम पुत्र उदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी स0 3 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 जो की बुआ के बेटे है तथा प्रतिवादी स0 3 जो की वादी स0 [illegible] भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 ने अपना [illegible] हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी [illegible] 1 व 2 काबिज है [illegible]दीगण जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण शेराराम, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत शेराराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है शेराराम पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका है तथा शेराराम पुत्र उदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख 6 के पक्ष मे परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:12 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 216/204 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा मुन्सरी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता स0 173/165 की कुल 7.6410 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि शेराराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है शेराराम पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका है तथा शेराराम पुत्र उदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख 6 के पक्ष मे परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक शेराराम के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 216/204 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में शेराराम पुत्र उदाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्सा भूमि के बहिब के तथा वादी स0 3 व प्रतिवादी स0 2 को 1/2 हिस्सा भूमि के बहिब के एवं रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 173/165 की कुल 7.6510 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में शेराराम पुत्र उदाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 को 1/6 हिस्सा भूमि के बहिब के तथा वादी स0 3 व प्रतिवादी स0 2 को 1/6 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 462/2024

अनवान : –

1. सूर्यकान्त जोशी पुत्र नन्द किशोर जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. चन्द्रकान्त जोशी पुत्र नन्द किशोर जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. शर्मा प्रियान्स इन्द्राज पुत्र इन्द्राज जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नन्दकिशोर पुत्र शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. इन्द्राज शर्मा पुत्र शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. शर्मा चारूलता इन्द्राज पुत्री इन्द्राज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. पुष्पा देवी पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. ओमधारा पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. विनोद देवी पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. मैनपाल पुत्र सुमित्रा पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. अशोक पुत्र सुमित्रा पुत्री शेराराम जाति ब्राहमण निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 462 सन 2024 निर्णय दिनांक – 13/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 216/204 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में शेराराम पुत्र उदाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्सा भूमि के बहिब के तथा वादी स0 3 व प्रतिवादी स0 2 को 1/2 हिस्सा भूमि के बहिब के एवं रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 173/165 की कुल 7.6510 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में शेराराम पुत्र उदाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 को 1/6 हिस्सा भूमि के बहिब के तथा वादी स0 3 व प्रतिवादी स0 2 को 1/6 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष [illegible] वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/06/2024 को [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)